न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 36/2018/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड

तारीख दायरा: 4.4.2018

अन्तर्गत धारा: 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

1 श्रीमती बद्रीबाई पुत्री स्व0 भंवरिया जाति चमार

2 श्रीमती सीताबाई पुत्री स्व0 भंवरिया जाति चमार

3 श्रीमती छोटीबाई पुत्री स्व0 भंवरिया जाति चमार

निवासीगण खेडलीमीरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0।

...अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीलाल आत्मज रतना जी जाति चमार निवासी खेडली मीरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0।

2 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री मोहनलाल चोरसिया अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री रघुबीर सिंह गोड अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 4.6.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 374/अपील/13 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान श्रीमती बद्रीबाई वगेरा बनाम श्रीलाल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 15.2.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के पिता भंवरिया के खाते पुश्तेनी आराजी ख0 नं0 378 रकबा 12 बीघा 3बिस्वा ग्राम बाधेर तहसील खानपुर मे स्थित है जिस पर अपीलांट काबिज काश्त चले आ रहे है। भंवरिया का दिनांक 11.6.2001 को देहान्त हो गया था। उनकी विरासत के दर्ज इंतकाल मे सजरा अनुसार अपीलांट व उनकी माता शंकरीबाई को वारिस माना गया था किन्तु नाम इन्तकाल मे दर्ज नही किये गये तहसीलदार खानपुर द्वारा बिना जांच पडताल किये अपीलांट के चचेरे भाई श्रीलाल पिता रतना के नाम 1/3 हक हिस्से पर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जिसकी वसीयत नही की जा सकती। मृतक खातेदार के अपीलांट जीवित उत्तराधिकारी है। शंकरीबाई बेवा फोत हो चुकी है। अतः तहसीलदार खानपुर का निर्णय दिनांक 20.7.2017 बावत नामान्तरकरण सं0 746 निरस्त किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को निर्णय दिनांक 15.2.2016 से खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ पेश की गई कि मृतक खातेदार के अपीलांट जीवित उत्तराधिकारी है। शंकरी बेवा फोत हो चुकी है। नामा0 मे सजरा बनाया हुआ हैं। आराजी पुश्तेनी है जिसकी वसीयत नही की जा सकती। तथाकथित वसीयत फर्जी है तथा वसीयत के संबध मे सक्षम न्यायालय से प्रोबेट भी नही लिया गया। वसीयत के आधार पर इंतकाल खोलने से पूर्व किसी प्रकार की जांच आदि तथा साक्ष्य नही लिये गये। ऐसी स्थिति मे वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया नामा0 काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट के पिता के अन्य खाते की आराजी ख0 नं0 82 रकबा 15 बीघा भूमि के 1/15 हिस्से पर भी श्रीलाल का नाम वसीयत के आधार पर तहसीलदार खानपुर द्वारा दर्ज कर दिया गया जिसकी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड द्वारा दिनांक 28.1.08 को निर्णय कर प्रकरण रिमांड किया था जिसकी अति0 संभागीय आयुक्त कोटा मे अपील व निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल मे प्रस्तुत की गई थी जिसमे जिला कलक्टर का निर्णय बहाल रखा गया है।

अति0 स0 आयु0

कोटा

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय मे आराजी पुश्तेनी होने संबधी तथ्य को अपीलांट द्वारा प्रमाणित कर दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही जेरअपील निर्णय दिनांक 15.2.16 पारित कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय 15.2.2016 प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं निर्णय तहसीलदार खानपुर दिनांक 20.7.2007 नामा0 सं0 746 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि विवादित आराजी मृतक खातेदार भंवरिया की पुश्तेनी आराजी है जिसकी वसीयत नही की जा सकती। मृतक खातेदार भंवरिया की विरासत के दर्ज इंतकाल मे सजरा अनुसार अपीलांट व उनकी माता शंकरीबाई को वारिस माना गया था किन्तु इन्तकाल मे नाम दर्ज नही किये गये। अपीलांट मृतक भंवरिया के जीवित उत्तराधिकारी है। बेवा शंकरी का स्वर्गवास हो चुका है। मृतक खातेदार द्वारा वसीयत नही की गई। वसीयत के संबध मे सक्षम न्यायालय से प्रोबेट भी नही लिया गया। तहसीलदार खानपुर द्वारा बिना जांच पडताल किये अपीलांट के चचेरे भाई श्रीलाल पिता रतना के नाम 1/3 हक हिस्से पर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जबकि आराजी पुश्तेनी होने से उसकी वसीयत नही की जा सकती। प्रथम अपीलीय न्यायालय मे आराजी पुश्तेनी होने संबधी तथ्य को अपीलांट द्वारा प्रमाणित कर दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे बताया कि आराजी पुश्तेनी है अथवा नही यह तथ्य अपीलांट प्रथम अपीलीय न्यायालय एंव न्यायालय हाजा मे अपील प्रकरण मे प्रमाणित करने मे असफल रहे है। तहसीलदार खानपुर द्वारा मृतक खातेदार भंवरिया द्वारा की गई वसीयत के आधार पर इंतकाल तस्दीक किया है। वसीयत से अपीलांट को किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह सक्षम न्यायालय मे रेगूलर वाद प्रस्तुत कर अपने हक हकूको को निर्धारण कराने के लिये स्वतंत्र है। मृतक खातेदार भंवरिया की 2 आराजी है। दुसरी ख0 सं0 82 से संबधित है जिसके संदर्भ मे पूर्व अपील सं0 2/15 निर्णय दिनांक 29.10.15 से रिमांड की है अतः रेस्पो0 का हक निरस्त नही हुआ है। अपीलांट का उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र पत्रावली मे नही है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा जेरअपील निर्णय दिनांक 15.2.16 का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजी पुश्तेनी होने संबधी तथ्य को अपीलांट द्वारा प्रमाणित नही करने के आधार पर परीक्षण न्यायालय तहसीलदार खानपुर द्वारा पारित दिनांक 20.7.2007 नामा0 सं0 746 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही मानते हुये अपील अपीलांट जेरअपील निर्णय दिनांक 15.2.2016 से निरस्त की है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे भी अपीलांट द्वारा ऐसे कोई आधार अभिलेख/साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज पेश नही किये है जिससे अपीलांट के विवादित आराजी पुश्तेनी होने संबधी कथन को बल मिलता हो। जहां तक नामान्तरकण का प्रश्न है हम अधीनस्थ न्यायालय के इस अभिमत से सहमत है कि "नामान्तरकण कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमे किसी व्यक्ति के स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता बल्कि नामा0 कार्यवाही मे यह तय होता है कि भूमि का लगान किस व्यक्ति से वसूल किया जाना है"। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 15.2.2016 मे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है। लिहाजा प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन हाने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 4.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा